न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 98/15 निर्णय दिनांकः 13.02.2020

1. तिलोकाराम पुत्र सुरताराम जाति नायक निवासी कपूरीसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।
2. अमराराम पुत्र सुरताराम जाति नायक निवासी कपूरीसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 20—01—2006
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

उपस्थितिः—

1. श्री श्यामदीन पड़िहार, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के आदेश दिनांक 20—01—2006 जिसके द्वारा अपीलांट् का बालिग पुत्र आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के पिता के नाम से वाके रोही कपूरीसर के खेत खसरा नम्बर 205/43 मिन में तादादी 76.07 बीघा खाम बारानी भूमि टीसी आवंटन थी। उक्त भूमि चकबन्दी के पश्चात् चक 4 एमकेएम के मुरब्बा नम्बर 204/29 के किला नम्बर 6, 14 ता 20 तादादी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

12 बीघा, मुरब्बा नम्बर 204/37 के किला नम्बर 2, 3, 8 ता 13, 17 ता 25 तादादी 17 बीघा, मुरब्बा नम्बर 204/30 के किला नम्बर 1 ता 13 तादादी 13 बीघा, मुरब्बा नम्बर 204/38 के किला नम्बर 1 तादादी 1 बीघा, मुरब्बा नम्बर 204/21 के किला नम्बर 24, 25 तादादी 02 बीघा, मुरब्बा नम्बर 204/38 के किला नम्बर 1 तादादी 01 बीघा, मुरब्बा नम्बर 204/21 के किला नम्बर 24 व 25 तादादी 02 बीघा, मुरब्बा नम्बर 204/32 के किला नम्बर 5, 6, 15 तादादी 03 बीघा कुल 28 बीघा कमाण्ड व 20 बीघा अनकमाण्ड भूमि के रूप में पैमूद हुई।

अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट के पिता की अधिशेष की गई के बालिग पुत्र की हैसयित से टीसी से पुख्ता आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना पत्र के साथ तमाम दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर बिना सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये एकतरफा तौर पर प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वादगत् सरप्लस होने के संबंध में अपीलांट द्वारा कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया गया है। अतः आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

उन्होनें आगे बताया कि बालिग पुत्र आवंटन हेतु 18 वर्ष की आयु होना दस्तावेजी साक्ष्य से साबित होती है व मुताबिक नियम व परिपत्र दिनाकं 01–01–2001 को टीसी से पुख्ता अधिशेष भूमि का बालिग पुत्र आवंटन करवाने हेतु 18 वर्ष का होना अनिवार्य है। इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को साक्ष्य व सबूत पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा मनमाने ढंग से विधि के विरूद्व जाकर कानून व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया, प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की कोई जॉच नहीं की गई। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–01–2006 के विरूद्व अपील दिनांक 19–10–15 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर की पत्रावली में शामिल दस्तावेजों के अवलोकन के अनुसार अदालत मातहत सहायक आयुक्त उपनिवेशन इगानप, बीकानेर द्वारा अपीलांट का बालिग पुत्र की हैसियत से आवंटन का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी के पिता/स्वयं के नाम का कोई आरजी काश्त की भूमि/आरजी काश्त की अधिशेष भूमि होना ही नहीं पाई जाती है। अतः प्रार्थी उपरोक्त कारण से राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 13 (5) (बी) के तहत भूमि आवंटन का पात्र नहीं पाया जाता है।

उक्त आदेश के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलांट की अपील इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करें। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश के अनुसरण में पत्रावली को पेशी में लिया जाकर प्रकरण दिनांक 05–10–2013 से निरन्तर बहस हेतु निर्धारित चल रहा था तथा विगत् 21 पेशियों तक अपीलांट के अधिवक्ता की उपस्थित दर्शाते हुए समय प्रदान किया जाता रहा। उक्त स्थिति के उपरान्त अदालत मातहत दिनांक 20–01–2006 को अपीलांट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति दर्शाते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया कि अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया गया है तथा प्रार्थी प्रकरण में कोई रूचि नहीं रखता है। जबकि प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से साबित है कि अपीलांट द्वारा वर्ष 1988 से निरन्तर अदालत के समक्ष उपस्थित आकर अपने दावे के संबंध में पैरवी की जाती रही है। ऐसी स्थिति में आवेदक का दावा विचाराधीन रहते केवल मात्र यह अंकित करते हुए कि प्रार्थी प्रकरण में कोई रूचि नहीं रखता है, अपीलांट के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवेदन खारिज करना आवेदक के साथ अन्याय है तथा आवंटन अधिकारी का निर्णय पक्षपातपूर्ण मनमाना एवं अविवेपूर्ण है।

7. अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–01–2006 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए दो माह के भीतर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अपीलांट को जरिये अभिभाषक निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष दिनांक 28–02–2019 को उपस्थित होकर अपना मत व्यक्त करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13–02–2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.24 16:43:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: